

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर
(खनन अनुभाग)

भण्डारित स्टोन डस्ट व सैण्ड स्टोन के निस्तारण/निकासी हेतु
ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में तहसील सदर स्थित ग्राम चकबसन्तपुर में अवैध भंडारित स्टोन डस्ट व सैण्ड स्टोन के भण्डारण, जिसे उ०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये 01 माह की अवधि के लिये ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से निकासी हेतु ई-निविदा दिनांक 25.12.2024 को अपराह्न 2:00 बजे तक वेब-साईट <http://etender.up.nic.in> पर आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 26.12.2024 को सांय 4:00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, खनन अनुभाग, कक्ष संख्या-204 प्रथम तल में खोली जायेगी। भण्डारित स्थल व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है:-

भण्डारित स्थल का विवरण :-

क० सं०	तहसील	ग्राम	भण्डारित स्थल/गाटा सं०	खनिज का नाम	नियमावली-2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घनमी०)	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घ०मी० में)
1	2	3	4	6	7	8
1	सदर	चकबसन्तपुर	01	स्टोन डस्ट	रु० 100/-	412
				सैण्ड स्टोन	रु० 110/-	1852
कुल मात्रा						2264

13/12/24
(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक - 676 / ख०अनु० / ई-निविदा / 2024

दिनांक: - 16/12/2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद,
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, गौतमबुद्धनगर।
7. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों (जिसका प्रकाशन जनपद में सबसे ज्यादा हो) में विज्ञापित का प्रकाशन निः शुल्क कराना सुनिश्चित करें।

1
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर